(6)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 रिविजन सं0– 10/2017–18

म0 जाकीर अंसारी एवं अन्य ..... आवेदक

बनाम्

शनिचर राय .....विपक्षी

।। आदेश ।।

19/03/2021 यह रे0मि0 रिविजन वाद संख्या– 10/2017–18 म0 जाकीर अंसारी एवं अन्य मौजा पान्दनपहाड़ी बनाम् शनिचर राय, मौजा धावाटांड़, अंचल काठीकुंड के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के आर.ई. वाद सं0 64/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें आवेदक को मौजा धावाटॉड़ के जमाबंदी सं0 01 के दाग सं0 30 रकवा 06(छः) कठ्ठा जमींन से उच्छेदित किया गया है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा धावाटॉड़ के जमाबंदी सं0 01 के अन्तर्गत दाग सं0 30 रकवा 03–11–08 धूर किस्म जमींन बाड़ी दोयम खतियानी रैयत किनु राय पिता बुधू राय वो हरिल राय पिता बीखो राय बगैरह के नाम गत गैंजर सर्वे पर्चा में दर्ज है। पर्चा के कैफियत कॉलम में दखल किनू राय वो हरिल राय के नाम से दर्ज है। उक्त दाग सं0 30 के अंश रकवा 06(छः) कठ्ठा जमींन आवेदक के पिता हकीम मियाँ, जैजे छोटा सहादत मियाँ, ग्राम– पान्दनपहाड़ी, थाना– काठीकुंड को दान–पत्र द्वारा प्राप्त है एवं उस पर उनके द्वारा मिट्टी का दीवार एवं टालीपोश मकान बनाया गया है। उस मकान में

(7)

कादम अंसारी, पिता– सोहराब अंसारी भाड़े के रूप में रहते है। दान–पत्र जमींन को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 के प्रतिकूल मानते हुए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदक को प्रश्नगत जमींन से उच्छेदित किया गया है।

आवेदक का कहना है कि प्रश्नगत जमींन पर उनका दखल कब्जा है एवं विद्यालय तथा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा छात्रावास के रूप में उपायोग किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विलोपित करते हुए रिविजन आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध है, में अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत जमींन जमाबंदी रैयती जमींन है जिसका खरीद–बिक्री नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत जमींन दान–पत्र द्वारा प्राप्त किया गया है जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के धारा 20 के विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में आवेदक के दावों को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

25 DBall-20/4/21

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त
दुमका। 19/3/2021

उपायुक्त
दुमका। 19/3/2021

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:32:23 +05:30
Location: 169.254.227.244